रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232197
CG-DL-E-28122021-232197

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943
No. 726] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि.885(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्म्लिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यात्कियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे अथवा comments-morth@gov.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (....... संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2) इन नियमों में अन्य रुप से यथा उपबंधित के सिवाय ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93, के उप-नियम (1)(क), उप-उप-नियम (VI) में, तालिका के बाद, तीसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए नामत:-

"बशर्ते यह भी कि दो पहिया वाहनों को ले जाने वाले वाहनों में वाहनों को ढ़ोने के लिए अधिकतम तीन डेक हो सकते हैं जिसका लोड बॉडी चालक के केबिन से अधिक प्रक्षेपित न हो।"

3. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93, के उप-नियम (1)(क), उप-उप-नियम (VII) में, तालिका के बाद, दो परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए नामत:-

"बशर्ते यह भी कि (क) दोपहिया वाहनों को ले जाने वाले वाहनों में वाहनों को ढ़ोने के लिए अधिकतम तीन डेक हो सकते हैं जिसका लोड बॉडी चालक के केबिन से अधिक प्रक्षेपित न हों और (ख) चार पहिया वाहनों को ले जाने वाले वाहनों में अधिकतम दो डेक हो सकते हैं, जिनका लोड बॉडी एआईएस 113 के अनुसार हो ।"

[सं. आरटी-11036/34/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित ....द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2021

G.S.R. 885 (E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, in Rule 93, in sub-rule (1) (A), in sub-sub-rule (VI), after the Table, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that vehicles carrying two wheelers can have maximum of three decks to carry vehicles with load body not projecting over the driver's cabin."

3. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, in Rule 93, in sub-rule (1) (A), in sub-sub-rule (VII), after the Table, after the first two provisos, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that vehicles carrying (a) two wheelers can have maximum of three decks to carry vehicles with load body not projecting over the driver's cabin and (b) Four wheelers can have maximum of two decks, with the load body as per AIS 113."

[No. RT-11036/34/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.28 17:04:32 +05'30'